ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–1, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in
gmfinance@gnida.in & dgmfinance@gnida.in

128

पत्रांक :– 228 /वित्त

दिनांक: 03/01/2025

कार्यालय आदेश

प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1567/77–4–20–36एन/20 दिनांक 09.06.2020 के कम में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों के सम्बन्ध में ब्याज दर हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्याः 47068/वित्त/कार्यालय– आदेश/2024–25 दिनांक 10 जुलाई, 2024 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2022 के अनुपालन में जारी कार्यालय आदेश संख्याः 76288/ग्रे0नौ0/कार्यालय–आदेश/2022–23 दिनांक 23.11.2022 के कम में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से ब्याज दरें निम्नवत् लागू होगी:–

1. तीन वर्ष की अवधि के ऋण हेतु एस0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 9.10 प्रतिशत है, जिस पर प्रशासनिक व्यय 1.00 प्रतिशत को शामिल करते हुये अगले 0.5 प्रतिशत तक के स्तर तक round off करने पर 10.50 प्रतिशत आगणित होता है।
2. समय से देयों के भुगतान को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से डिफॉल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्डब्याज दर 03 प्रतिशत अतिरिक्त (प्रत्येक 06 माह में कम्पाउडिंग करते हुए) लागू की जाए।

अतः प्राधिकरण की सभी सम्पत्तियों के समस्त देयों पर (आम्रपाली ग्रुप ऑफ कम्पनियों को छोड़कर) उपरोक्त शर्तो के अनुसार ब्याज दर 10.50 प्रतिशत **दिनांक 01 जनवरी, 2025 से लागू किया जाता है, जो दिनांक 30 जून, 2025 तक लागू रहेंगी।**

01 जुलाई, 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR के अनुसार पुनः दरें निर्धारित की जायेगी।

(सुनील कुमार सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

<u>प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–</u>

1. स्टाफ ऑफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0एस0/डी0/एल0/पी0)।
3. महाप्रबन्धक (वित्त)।
4. समस्त परिसम्पत्ति विभागाध्यक्ष। (OSD - System)
5. विशेषकार्याधिकारी (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को तत्काल प्राधिकरण की बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

3.1.25

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी